सप्तदश

बिहार विधान सभा

पंचम सत्र

अल्पसूचित प्रश्न

वर्ग-3

बुधवार, तिथि 02 चैत्र, 1944 (श०)
23 मार्च, 2022 (ई०)

प्रश्नों की कुल संख्या 04

(1)	जल संसाधन विभाग	01
(2)	ग्रामीण कार्य विभाग	01
(3)	पथ निर्माण विभाग	01
(4)	पंचायती राज विभाग	01
	कुल योग --	04

योजनाओं को पूरा कराना

89. श्री संजय सरावगी (क्षेत्र संख्या-83 दरभंगा)--स्थानीय हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 23 फरवरी, 2022 को प्रकाशित शीर्षक "दशकों तक लटकी रही सिंचाई और बाढ़ प्रबंधन की योजनाएँ" के आलोक में क्या मंत्री, जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि --

(1) क्या यह बात सही है कि 2.3 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता वाली पश्चिमी कोसी नहर परियोजना की शुरूआत 1975 ई0 में शुरू करने के बावजूद इसका निर्माण कार्य अबतक पूरा नहीं किया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि 5 लाख हेक्टेयर भूमि को बाढ़ से बचाने के लिये 14 साल पहले शुरू की गई बागमती बाढ़ प्रबंधन योजना अबतक पूरी नहीं की जा सकी है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक खंड (1) तथा (2) में वर्णित योजनाओं का निर्माण कार्य पूर्ण करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

15वें वित्त आयोग का ससमय क्रियान्वयन हेतु

90. श्री पवन कुमार जायसवाल (क्षेत्र संख्या-21 ढाका)--क्या मंत्री, पंचायती राज विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि --

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य के जिला परिषदों/पंचायत समिति/ग्राम पंचायतों को वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिये टाइड/अंटाइड मद में एक अरब ग्यारह करोड़ रुपया दिनांक 2 दिसम्बर, 2021 को आवंटन हुआ है किन्तु पंचायती राज निकायों द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 की पारित योजनाओं को GPDP पर अपलोड करने के उपरान्त विभाग द्वारा फ्रीज किया जा चुका है ;

(2) क्या यह बात सही है कि जिला परिषद्, पूर्वी चम्पारण को वित्तीय वर्ष 2021-22 में टाइड/अंटाइड मद में पारित कुल योजनाओं का प्लान GPDP पर अपलोड है परंतु वित्तीय वर्ष समाप्ति माह तक योजनाओं का क्रियान्वयन शुरू नहीं हुआ है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार पूर्वी चम्पारण सहित राज्य के पंचायती राज संस्थाओं में वित्तीय वर्ष 2021-22 में पंद्रहवी वित्त आयोग अन्तर्गत टाइड/अंटाइड मद में अपलोड प्लान के अनुसार योजनाओं का क्रियान्वयन कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

सड़क का निर्माण

91. डॉ0 रामानुज प्रसाद (क्षेत्र संख्या-122 सोनपुर)--स्थानीय हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 22 जनवरी, 2021 को प्रकाशित शीर्षक "कोर्ट की निगरानी से खुलने लगी एन0एच0ए0आई0 की 22 परियोजनाओं में लापरवाही की कलई" के आलोक में क्या मंत्री, पथ निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि हाजीपुर-सोनपुर-छपरा फोरलेन का समय-सीमा समाप्त होने के 8-10 वर्ष के बाद भी 17 प्रतिशत कार्य अधूरा है साथ ही छपरा-रेवाघाट-मुजफ्फरपुर 4 वर्ष से छपरा-सीवान-गोपालगंज 5 वर्ष से भोजपुर-बक्सर, एन0एच0 का लगभग डेढ़ वर्ष से निर्माण कार्य अधूरा है, यदि हाँ, तो इसका क्या औचित्य है तथा सरकार कबतक उक्त सड़कों को पूर्ण कराने का विलम्ब के लिये दोषी पदाधिकारियों पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रशासनिक स्वीकृति एवं राशि विमुक्ति करना

92. श्री ललित कुमार यादव (क्षेत्र संख्या-82 दरभंगा ग्रामीण)--क्या मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि --

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार, राज्य के सभी चचरी पुलों को R.C.C. पुल में बदलने का निर्णय लिया है, जिसके तहत सभी मुख्य अभियंता द्वारा संबंधित कार्यपालक अभियंता से चेक लिस्ट एवं नजरी नक्शा प्रशासनिक स्वीकृति एवं राशि विमुक्ति हेतु माँग की गई थी, जिसे सभी संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा समर्पित भी किया गया, लेकिन किसी को प्रशासनिक स्वीकृति नहीं दिया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि इसी क्रम में मुख्य अभियंता 04 (मु0), नाबार्ड (राज्य योजना) के पत्रांक 4444, दिनांक 1 अक्टूबर, 2018 द्वारा नजरी नक्शा एवं चेकलिस्ट की माँग कार्यपालय अभियंता, ग्रामीण कार्य प्रमंडल, दरभंगा 01 से माँगा गया था, जिसे कार्यपालक अभियंता, दरभंगा 01 द्वारा अपने पत्रांक 1802, दिनांक 29 अक्टूबर, 2018 द्वारा समर्पित किया है, लेकिन प्रशासनिक स्वीकृति एवं राशि अभीतक नहीं दिया गया है ;

(3) यदि हाँ, तो सरकार दरभंगा सहित राज्य के सभी चचरी पुलों को प्रशासनिक स्वीकृति एवं राशि विमुक्ति हेतु कबतक कार्रवाई करना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

पटना :
दिनांक 23 मार्च, 2022 (ई0) ।

शैलेन्द्र सिंह,
सचिव,
बिहार विधान सभा ।